



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 माघ 1947 (श10)
(सं0 पटना 87) पटना, शुक्रवार, 30 जनवरी 2026

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना
15 जनवरी 2026

सं0 04/पर्या0/वन-16/2025/322/प०व०ज०प०—पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या—सा.का.नि. 219(अ)., दिनांक—02.04.2025 द्वारा प्रख्यापित पर्यावरण (संनिर्माण और भंजन) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025 के प्रावधानों के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए इस नियमावली के नियम, 22(3) के अंतर्गत राज्य स्तर पर “संचालन समिति” का गठन निम्नवत् किया जाता है:—

1	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि। (संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर)	सदस्य
3	पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना के प्रतिनिधि। (संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर)	सदस्य
4	परिवहन विभाग बिहार, पटना के प्रतिनिधि। (संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर)	सदस्य
5	ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना के प्रतिनिधि। (संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर)	सदस्य
6	पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि। (संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर)	सदस्य
7	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि। (संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर)	सदस्य
8	आधारभूत संरचना संभाग से भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि। (संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर)	सदस्य
9	श्री विक्रान्त, LOGIKOOF TECHNOLOGIES PVT. LTD.,	सदस्य
10	नगर आयुक्त पटना नगर निगम	सदस्य

11	नगर आयुक्त गया नगर निगम	सदस्य
12	नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर नगर निगम	सदस्य
13	श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी, चेयरमैन-अर्बन डेवलपमेंट समिति, बीआईए में० होटल विंडसर, 201, एन- पी-सेंटर, न्यू डाकबंगला रोड, पटना-800001।	सदस्य

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव कुमार,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 87-571+10-डी०टी०पी०
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>